न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

अधिकारी– | अमानुल्लाह खान, आर.ए.एस.

सल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
7/अपील/16	10.02.2016	05.04.2021

गोविन्दसिंह आ0 सरवन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बथवाड़ा तहसील एवं जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. जगन्नाथ आ0 सुखदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
   - 1/1. हरिशंकर
   - 1/2. रामभरोस
   - 1/3. सत्यनारायण

   } पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी बैरवा का झोपड़ा ग्राम सीसोला तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
   - 1/4. रामभरोसी पुत्री जगन्नाथ पत्नि हजारी लाल जाति बैरवा निवासी धोला बरडा सॉवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. भंवरसिंह
3. शंकर सिंह
4. यसराज सिंह

   } पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बथवाड़ा।
5. विष्णुकंवर पत्नि इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बथवाड़ा।
6. गिरधरसिंह
7. धनसिंह

   } पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बथवाड़ा।
8. कजोडकंवर पत्नि तेजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बथवाड़ा तहसील एवं जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से – श्री रामकैलाश नागर एड0
रेस्पो0 संख्या 1/1 लगायत 1/4 की ओर से – श्री दशरथ सिंह एड0
रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 की ओर से – श्री रघुराजसिंह एड0
रेस्पो0 संख्या 9 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैंनवा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 19.07.1960 वाके ग्राम सीसोला तहसील नैंनवा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन ण से कृषि भूमि खसरा सख्या 786 रकबा 2 बीघा 18 बीस्वा वाके ग्राम के खातेदार सरवण सिंह के स्थान पर सुखदेव को खातेदार घोषित किया गया। प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब या गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 786 रकबा 2 बीघा 18 बीस्वा वाके ग्राम सीसोला जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1086 रकबा 2 बीघा 18 बीस्वा वाके ग्राम महावीरपुरा पटवार हल्का सीसोला में विस्थित हैं जिसे राजस्व कर्मचारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण से सुखदेव को खातेदार घोषित कर दिया गया जबकि इसके पूर्व में खातेदार सरवण सिंह आ0 रणजीत सिंह जाति राजपूत थे। अपीलांट सरवण सिंह के वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं। तहसीलदार साहब नैंनवा द्वारा बिना सुनवाई के व बिना विधिक प्रकिया अपनाये नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई हैं जो विधि अनुकूल नहीं हैं। विवादित आराजी पारवारिक बटवारे में अपीलांट को प्राप्त हुई थी जिस पर अपीलांट व रेस्पो0 कम संख्या 2 लगायत 8 के पूर्वज इन्द्रसिंह व तेजसिंह के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही हैं। अंपीलांट के पिता सरवण सिंह के नाम अन्य कृषि भूमियां भी ग्राम सीसोला में विस्थित हैं। उक्त विवादित भूमि पर कभी भी रेस्पोडेन्ड एवं उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। अपील को पेश करने में विलम्ब माना जाता हैं तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः विवादित नामान्तरकरण को खारिज फरमाया जाकर पूर्ववतः स्थिति बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 1/1 लगायत 1/4 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि खसरा संख्या 786 रकबा 2 बीघा 18 बीस्वा वाके ग्राम सीसोला जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1086 रकबा 2 बीघा 18 बीस्वा वाके ग्राम महावीरपुरा पटवार हल्का सीसोला तहसील नैंनवा पर हमारा एवं हमारे पिता जगन्नाथ तथा हमारे दादा सुखदेव का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं, वर्तमान में एवं इससे पूर्व अपीलांट का ही कब्जा काश्त इस भूमि पर रहा हैं। नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 19.07.1960 निरस्त कर दिये जाने में हमारी कोई आपत्ति नहीं हैं।

वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 2 लगायत 8 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि उक्त नामान्तरकरण खारिज कर दिया जावे तो हमारी कोई आपत्ति नहीं हैं।

पेरोकार सरकार ने दोराने बहस व्यक्त किया कि अपील अवधि बाधित हैं। उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार नैंनवा द्वारा सन् 1960 में तस्दीक किया गया हैं जिसकी अपील सन् 2016 में प्रस्तुत की गई हैं जो लगभग 56 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई हैं। विलम्ब क्षमा योग्य नहीं हैं। तहसीलदार नैंनवा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत खातेदार परिवर्तन के आदेश दिये हैं जो विधि अनुकूल हैं। विवादित खसरा नम्बर पर संवत् 2012 से 2015 पर सुखदेव आ0 गौरू चमार निवासी सीसोला जोता दर्ज होने से व काबिज काश्त होने से सुखदेव को खातेदार दर्ज किया गया हैं जो विधि अनुकूल हैं। अतः अपील खारिज कर तहसीदार नैंनवा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण को यथावत रखा जावे।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/3

...त्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। ...रण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन विवादित नामान्तरकरण तहसीलदार ...रा दिनांक 19.07.1960 को तस्दीक किया गया हैं जिसमें खातेदार सरवण सिंह के ... पर सुखदेव को खातेदार घोषित किया गया हैं। विवादित नामान्तरकरण के ...वलोकन से यह जाहिर आया कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा वार्षिक रजिस्टर अथवा खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से 2015 में उप अभिधारी/जोता दर्ज होने से सुखदेव को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 के तहत तहसीलदार नैंनवा द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं जिसमें प्रथमदृष्ट्या कोई विधिक दोष ज्ञात नहीं होता हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा नामान्तरकरण दिनांक 19.07.1960 को तस्दीक किया गया हैं जिसकी अपील अपीलांट सन् 2016 में प्रस्तुत की गई हैं। अपील लगभग 56 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई हैं। अपील देरी से प्रस्तुत करने के समय को क्षम्य किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारहीन होने एवं अवधि बाधित होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
बूंदी (राज0)

(अमानुल्लाह खान)
अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी